8/1/17

पंचायतनामा पेश हुई / उभयपक्ष हाजिर जरह
की गई दोनों पक्षों की जरह पर मनन किया
गया. वाद पत्र पर मनन किया गया वाद पत्र
के साथ संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया
निरीक्षण मौका रिपोर्ट जो पटवारी हल्का व
भू. अ. निरीक्षक ने प्रस्तुत की पर मनन किया
तो पाया गया की प्रतिवादी गण द्वारा वादी की
आराजी मालिकान 225 रकबा 1.87 है तथा अ.न.
204 रकबा 1.53 है पर प्रतिवादीगण का
कब्जा नहीं है तथा प्रतिवादीगण इस वाद
पर स्वीकार करते है कि वे इस आराजियों पर
भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं
करेंगे। अतः वाद पत्र इस आशय की
कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी
की जाती है कि प्रतिवादीगण, आराजी न.
204 रकबा 1.53 है अ.नं. 225 रकबा 1.87
है स्थित आराजी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं
करेंगे न किसी से कब्जा नहीं करायेंगे
पंचायतनामा फैसला शामिल होकर मिसल के साथ है